न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 00114/2022 जिला–अजमेर

1. रामधन पुत्र स्व0 भोलू
2. श्रवण पुत्र स्व0 भोलू (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1 जय सिंह पुत्र स्व0 श्रवण
   2/2 नारसिंह पुत्र स्व0 श्रवण
   2/3 मुकेश पुत्र स्व0 श्रवण
   2/4 मधु पुत्री स्व0 श्रवण
   2/5 प्रेम पत्नी स्व0 श्रवण
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हरपुरा, तहसील अंराई, जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत दादिया जरियेः–

1. सुबिता कंवर राव सरपंच ग्राम पंचायत दादिया
2. भुवाना पुत्र गोपी
3. घीसा पुत्र गोपी
4. बन्ना पुत्र चतुर्भुज
5. गोमा पुत्र देवा
6. गोपाल पुत्र देवा
7. रघुनाथ पुत्र रामकरण
   समस्त निवासी ग्राम ददिया, तहसील अंराई, जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंराई, जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 22–02–2022
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 41/2021
बउनवान ग्राम पंचायत बनाम रामधन वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री रामदेव गुर्जर अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण सं0 1 से 07

निर्णय

दिनांकः— 02—01—2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आवंटन सलाहकार समिति राजस्व कैम्प दादिया, जरिय प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के द्वारा पारित आवंटन/नियमन आदेश क्रमांक 92 दिनांक 21—6—1984 ग्राम दादिया हाल हरपुर के पूर्व खसरा नम्बर 223/1 हाल खसरा नम्बर 223 रकबा 2.4917 अर्थात 15 बीघा 8 बिस्वा के नियमन आदेश को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत किया जिसमें उक्त पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 28—9—2021 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष हस्तांतरित हुई उसके पश्चात दोनों पक्षों की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 22—2—2022 को प्रत्यर्थीगण का प्रार्थन पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन/नियमन सलाहकार समिति राजस्व कैम्प दादिया हाल ग्राम हरपुरा तहसील अंराई के पुराने खसरा नम्बर 223/1 वर्तमान खसरा नम्बर 223 में अपीलार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में 15 बीघा 08 बिस्वा भूमि अर्थात 2.4917 हैक्टर भूमि के किये गये आवंटन/नियमन को आदेश दिनांक 22—2—2022 से निरस्त कर दिया जिसकी पालना में तहसीलदार अंराई द्वारा नमान्तरकरण संख्या 513 दिनांक 4—3—2022 स्वीकृत कर वर्तमान जमाबंदी में किस्म चारागाह दर्ज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने लखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर में स्थित आराजियात चौसाला खसरा नम्बर 323 भू—संशोधन खसरा नम्बर 323/1 रकबा 15—8—0 बीघा किस्म बारानी प्रथम पर अपीलार्थी संख्या 1 व 2/1 लगायत 2/5 के पिता श्रवण पुत्र भोलू सम्वत 2027 से काबिज काश्त चले आ रहे थे, जिससे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21—6—1984 को दोनों भाई रामधन व श्रवण पुत्र भोलू को उक्त आराजियात नियमन की गई। भूमि एकीकरण जमाबंदी सम्वत 2019 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के चौसाला खसरा नम्बर 223 कुल रकबा 30—9—0 बीघा थी जो चौसाला जमाबंदी सम्वत 2041 में नोट दर्ज है कि नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 26—5—1984 खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15—10—0 बीघा अपीलार्थी की नियमनशुदा आराजियात है जो गैरखातेदारी में अंकित होना दर्ज किया गया तब से लगातार काबिज काश्त रहने से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये।

उनका यह भी कथन है कि उक्त आराजियात दिनांक 21–6–1984 का नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 524 रामधन, श्रवण वल्द भोलू के नाम भू–संशोधन खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15–8–0 बीघा गैरखातेदारी में दर्ज की गई। उक्त आराजियात चौसाला खसरा संख्या 223 रकबा 30–9–0 बीघा के दौरान भू–संशोधन मिलान क्षैत्रफल के अनुसार वर्किंग खसरा संख्या 223/1 रकबा 15–8–0 बीघा अपीलार्थीगण की गैर खातेदारी की भूमि रही तथा खसरा नम्बर 223/2 रकबा 0–2–0 बीघा तथा 223/3 रकबा 14–19–0 बीघा चारागाह में दर्ज कर दी गई। लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 में खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15–8–0 बीधा जो अपीलार्थी को नियमन की गई, को गलत रूप से चारागाह दर्ज कर दिया एवं चारागाह में तथाकथित रूप से घोषित आराजी 223/3 रकबा 14–19–0 बीघा के सिवायचक अंकित कर दिया जबकि वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15–8–0 बीघा अपीलार्थी रामधन व श्रवण पुत्रान श्री भोलू के नाम नियमन होना भी अंकन किया गया। बन्दोबस्त विभाग द्वारा अकारण परिवर्तित प्रविष्टि को दुरूस्त करते हुए जमाबंदी सम्वत 2042 लगायत 2045 व उसके बाद लगातार उक्त भूमि रामधन व श्रवण वल्द श्री भोलू के नाम बारानी अव्वल दर्ज है एवं आज दिनांक नियमिति से अपीलार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। राज्य सरकार द्वारा नियमन को चुनौती नहीं दी गई है जिससे भूमि धारक के अतिरिक्त अन्य किसी को नियमन आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। उक्त कथन के समर्थन में ए.आई.आर 2008 एस. सी पेज 2005 की नजीर प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा नियमन आदेश के विरूद्ध 36 वर्ष पश्चात निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किय गया है जो संधारण योग्य नहीं है उक्त कथन के समर्थन मे आर.एल.डब्लयू 2016 (4) पेज 3181 (एचसी) आरबीजे 2021 पेज 650 (एचसी) व आर.आर.डी 2018 पेज 479 (एच.सी) की नजीरे प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

उनका यह भी कथन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को नियमनशुदा आराजियात सम्वत 2041 की जमाबंदी में चारागाह एवं चारागाह भूमि को अपीलार्थीगण के नाम दर्ज करने का नोट अंकित कर दिया जिसमें 15–08–0 बीघा भूमि अपीलार्थीगण को नियमन होने का नोट भी अंकित कर दिया। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग को प्रविष्टियां परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था जो बन्दोबस्त विभाग द्वारा सम्वत 2042 से पुनः दुरूस्त की गई।

उनका यह भी कथन है कि जमाबंदी सम्वत 2041 मे दर्ज नोट से यह कतई स्पष्ट नहीं है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा अंकित किया गया है या राजस्व एजेन्सी द्वारा बन्दोबस्त विभाग को अपीलार्थी की नियमनशुदा आराजियात चारागाह दर्ज करने एवं चारागाह आराजियात को अपीलार्थीगण के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था एवं ना ही ऐसा अधिकार तहसीलदार को निहित है। हालांकि

उक्त त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सम्वत 2042 लगायत 2045 की जमाबंदी में दुरूस्त कर अपीलार्थीगण के नाम नियमनशुदा आराजियात की प्रविष्टि पूर्व की भाति यथावत दर्ज कर दी गई इस हेतु आर.बी.जे. 2003 पेज 114, आर.आर.डी 1980 पेज 243, आर.आर.टी 2008 (1) पेज 610 (एच.सी.) की नजीरों का उल्लेख कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि अब्दुल रहमान बनाम राजस्व मण्डल मानक प्रकरण के तथ्य अंकित करते हुए त्रूटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया जबकि विवदित आराजियात नदी, नाला, तालाब इत्यादि की आराजियात ही नहीं है मात्र अपीलार्थीगण की नियमनशुदा आराजियात 15–08–0 बीघा जमाबंदी सम्वत 2041 में चारागाह दर्ज कर दी गई एवं चारागाह आराजियात 14–19–0 बीघा अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई लेकिन बन्दोबस्त विभाग को जानकारी होते ही सम्वत 2042 से 2045 की जमाबंदी में दुरूस्त की जाकर नियमनशुदा 15–08–0 बीघा अपीलार्थीगण के नाम एवं 14–19–0 बीघा सिवायचक चारागाह दर्ज कर दुरूस्ती कर दी गई। जिसका नाजायज लाभ अर्जित करते हुए नियमनशुदा आराजियात को चारागाह होना बताकर प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी आराजियात 23–10–0. बीघा जिसके खसरा नम्बर 220 मुर्तिब किये गये, को त्रुटिपूर्ण रूप से आधार बनाकर कभी उक्त आराजियात को चारागाह भूमि से अदला बदली करना बता रहे है एवं कभी चारागाह आराजियात खसरा नम्बर 223/3 रकबा 14–19–0 बीघा को अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होना बताते है जबकि खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15–10–0 बीघा अपीलार्थीगण की नियमनशुदा आराजियात है एवं 223/3 रकबा 14–19–0 बीघा सिवायचक चारागाह भूमि है जो आज दिनांक तक रेकार्ड में यथावत दर्ज है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ठीक प्रकार से अध्ययन किये बिना रेकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा यह कतई सिद्ध नहीं किय गया है कि बरवक्त पारित नियमन आदेश दिनांक 21–6–1984 को अपीलार्थीगण द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा मिथ्या अपदेशन किया गया हो अथवा धोखा कारित किया गया हो अथवा आवंटन/नियमन शर्तो की पालना नहीं की गई हो जिसके अभाव में अवैधानिक आदेश के आधार पर अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण का हवाला देकर जो प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा ही नहीं होता है अपीलार्थीगण का नियमन आदेश निरस्त करने का आदेश ही पारित कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमों की मशां के विपरीत एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपदित सिद्धान्तों के

विपरीत किया जकर निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–2–2022 निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के हक में पारित नियमन आदेश दिनांक 21–6–1984 बहाल रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की लिखित बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दादिय वर्तमान में ग्राम हरपुरा पटवर हल्का दादिया तहसील अंराई के भू–संशोधन खसरा नम्बर 223/1 वर्तमान खसरा नम्बर 223 रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा अर्थात 2.4917 हैक्टर भूमि जो राजस्व कैम्प दादिया में सलाहकार समिति के आदेश क्रमांक राज/92 दिनांक 21–6–1984 को खसरा नम्बर 223 को नियमन की गई थी जो तत्समय उपरोक्त खसरा नम्बर चारागाह भूमि थी जिसको किसी भी प्रकार से नियमन किया जाना संभव नहीं है जो उपरोक्त चारागाह भूमि किसी भी प्रकार से कोई हक–अधिकार, स्वत्व प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं उक्त भूमि की किस्म चारगाह होने पर ग्राम पंचायत के प्रशासक द्वारा किसी भी प्रकार की सहमति प्राप्त नहीं की गई एवं नियमन के समय पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा नियमन के समय वास्तविक जांच रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा एवं राजस्व रेकार्ड की गिरदावरी में भूमि आज दिनांक तक पड़त अंकित की गई है जो सर्वसिद्ध है। चूंकि विवादित आराजियात सम्वत 2041 में चारागाह में अंकित है जो चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने से आवंटन/नियमन योग्य नहीं है फिर भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित अधिनियमो व प्रावधानों के विपरीत जाकर नियमन किया गया है जिसमें अपीलार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2004 में गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान राज्य में निर्णित किया गया है कि प्रतिबंधित भूमियों में किसी प्रकार का कोई आवंटन/नियमन अथवा खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त कर दिया गया हो तो पुनः उसी अवस्था में करने के लिए निर्णित किया जा चुका है जबकि उक्त भूमि की किस्म चारागाह होने से सम्वत 2041 की बन्दोबस्त खतौनी जमाबंदी में खसरा नम्बर 123/1 रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा अंकित किया गया है कि उक्त भूमि चरागाह मे गया कारण की उक्त भूमि विधिविरूद्ध व नियमों के विपरीत जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21–6–1984 को नियमन किया गया था जो वैध नहीं होने से उक्त भूमि के स्थान पर अपीलार्थी संख्या 1 व 2/1 लगायत 2/5 के पूर्वाधिकारी के नाम खसरा नम्बर 220 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 274/220, 276/220, 277/220, 275/220, 282/220, 283/220, 284/220 आवंटित कर दी गइ थी एवं मौके पर कब्जा संभला दिया गया था लेकिन सहवन से राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 223/1 वर्तमान खसरा नम्बर 223 को निरस्त करने की त्रुटिवश भूल होने के कारण राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी संख्या 1 व 2/1 लगायत 2/5 के नाम गैर खातेदारी इन्द्राज रह गया। मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड का

गहनता से अध्ययन करके पारित किया गया है जो विधिसम्मत होने से अपीलार्थीगण की अपील निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजियात चरागाह सरकारी भूमि थी जो कि ग्राम के पशुओं के चराई के उपयोग में आती थी। उक्त भूमि में किसी प्रकार का वैद्य हक अथवा वैद्य हक अर्जित होने योग्य नहीं है एवं धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमिया है जो राजस्व रेकार्ड में सम्वत 2041 की जमाबंदी से स्पष्ट सिद्ध होता है। विवादित आराजियात अपीलार्थीगण को 1984 में 36 वर्ष पूर्व नियमन किया गय था जिसकी सम्वत 2040 से होती है अर्थात 2041 की आधार जमाबदी में किस्म चारागाह है फिर भी आवंटन/नियमन सलहकार समिति द्वारा नियमों के विपरीत जाकर नियमन किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि चारागाह भूमि प्रथमतः आवंटन/नियमन योग्य नहीं है यदि सार्वजनिक अथवा सरकारी कार्यालय के लिए भी आवंटन की जाती है तो ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक था परन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा न तो ग्राम पंचयत से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया एवं ना ही मौके की वास्तविक जांच व रिपोर्ट पटवारी हलका व तहसीलदार से नहीं ली गई उक्त तथ्यों को छिपाकर नियमन किया गया था जबकि अपीलार्थीगण भूमिहीन व्यक्ति नहीं थे। उक्त आवंटन/नियमन आदेश में भूमि की किस्म चारागाह होने पर भी नियमन आदेश में बारानी अंकित की है जो वास्तविक तथ्यों को विलोपन किया गया जबकि भूमि नियमन के समय किस्म चारागाह थी एवं पूर्ण कोरम नहीं होने के बावजूद भी नियमन प्रतिबंधित भूमि का होने से अपीलार्थीगण की अपील निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड मं बारानी प्रथम अंकित की गई है जो किसी भी सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना की गई है जिसका किसी भी प्रकार से कोई विधिक औचित्य नही है चूंकि किस्म परिवर्तन करने का क्षैत्राधिकार जिला कलक्टर को है। प्रस्तुत प्रकरण में नियमन को निरस्त कराने हेतु गाम हरपुर पटवार हल्का ददिया के विभिन्न मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है।

उनका यह भी कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 18–5–1978 को तहसीलदार द्वारा जिल कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/19 से 674/75 दिनांक 8–2–1974 की अनुपालना में तहसीलदार किशनगढ़ द्वार उपरोक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जिसके पुस्त भाग में अंकित है कि आज तारीख 18–5–1978 मुकाम किशनगढ़ अतः आदेश है कि नामान्तरकरण आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 8 बीधा, खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 223/2 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारी का लगान 27 रूप्ये 10 पैसे करके चारागाह भूमि में दर्ज करना स्वीकार है'' इस प्रकार अपीलाधीन आराजी चारागाह भूमि में जिला कलक्टर के आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 18–5–1978 को तस्दीक किया गया। उक्त अंकित 23 बीघा 10 बिस्वा के बदले नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक

18–5–1978 को ग्राम दादिया हाल हरपुरा के खसरा नम्बर 220 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 8–2–1978 की अनुपालना में खसरा नम्बर 220 में से 23 बीघा 10 बिस्वा चारागाह भूमि से निकाल कर खातेदारी हक से श्री रामधन, श्रवण पिता भोलूराम जाटके पक्ष में स्वीकार किया गया । इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 182 के जरिये 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि चारागाह में हस्तांतरित कर दी एवं इसकी एवज में नामान्तरकरण संख्या 183 के तहत खसरा नम्बर 220 चारागाह भूमि में से कलक्टर अजमेर के आदेश से 23 बीघा 10 बिस्व भूमि की खातेदारी प्रदान की गई। जिसका नामान्तरकरण स्वीकृत होकर वतमान में खातेदारी इन्द्राज है। जिसके मिन बटा खसरा नम्बर 274/220, 276/220, 277/220, 275/220, 282/220, 283/220, 284/220 है एवं हस्तातरण नामान्तरकरण संख्या 182, 183 का हवाला गिरदावरी सम्वत 2030, 2031, 2032 के विशेष कॉलम में अंकित है एवं जमाबंदी सम्वत 2041 में भी नोट अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में अपलार्थीगण के पक्ष में खसरा नम्बर 223/1 का आवंटन के स्थान पर आवंटियों के खसरा नम्बर 220/5726 किया गया था जो सम्वत 2041 की जमाबंदी के कॉलम संख्या 9–10 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा चारागाह में गया जबकि पूर्व नियमन खसरा नम्बर 223/1 को निरस्त किये बिना खसरा नम्बर 220/5726 आवंटन कर दिया गया है इस करण राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण पूर्व आवंटन खसरा नम्बर 223/1 को निरस्त किये बिना दूसरा आवंटन खसरा नम्बर 220/5726 का कर दिया गया जबकि राजस्व अधिकारियों ने सम्वत 2041 की वर्किंग जमाबंदी मे ''चारागाह में गया'' अंकित कर दिया। तहसीलदार अंराई की रिपोर्ट दिनांक 9–10–2020 में उल्लेखित किया गया है कि ''वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 में चारागाह के खाते दोनों में लगा हुआ है खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15 बीघा 8 बस्वा किस्म बारानी में गोला करके ''चारागाह में गया'' लिखा हुआ है एवं जवाब के पैरा 12 में अंकित किया गया है कि राजस्व रेकार्ड के अनुसार नियमन से सम्वत 2076 तक उक्त खसरा नम्बर 223/1 वर्तमान खसरा नम्बर 223 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा पर कोई फसल काश्त नहीं की गई थी'' जिसका तात्पर्य यह है कि अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी उक्त आरजी पर नियमन के पूर्व व नियमन के पश्चात कोई काश्त नही की गई एवं भूमि चारागाह होने से धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रचलित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलार्थीगण के पक्ष में जो विधिविरूद्ध आवंटन किया गया है वह धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन भूमि योग्य नहीं है एवं अपीलार्थीगण के पास पूर्व में ही 15 बीघा भूमि से अधिक भूमि खातेदारी में इन्द्राज है जिसके दस्तावेज पेश किये गये है इससे सिद्ध है कि अपीलार्थीगण भूमिहीन कृषक नहीं है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। राजस्थान कश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों को आवंटन नियमन करने हेतु प्रावधान दिया गया है जबकि उक्त प्रकरण में आवंटन के समय के पूर्व ही जमाबंदी 2041 में चारागाह इन्द्राज है इस कारण

आवंटन प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। चूंकि उक्त प्रकरण संबंधित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में निर्णित किया जा चुका है कि प्रतिबंधित भूमियों में विधिविरूद्ध आवंटन/नियमन होकर खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त कर दिये गये हो तो भी इस प्रकार का आवंटन/नियमन धारा 16 के तहत विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आर.आर.टी. (2) सुरेश कुमार बनाम सरकार पेज नम्बर 710, आर.आर.टी. 2017 भागचन्द बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भावी पेज नम्बर 501, आर.आर.टी 2016–17 (सुप्री) रामस्वरूप बनाम राज्य सरकर पेज 481, आर.आर.टी 2014 रामप्रसाद बनाम राज्य सरकार पेज 797, आर.आर.टी 2015 (2) राज्य सरकार बनाम पतराम जाट पेज नम्बर 790, आर.बी.जे. 2002 हरिया बनाम सोदान पेज नम्बर 7 , आर.आर.डी 2001 पेज नम्बर 465, आर.आर.टी. 2004 (2) पेज 1030 रमाल बनाम असरू व अन्य, आर.आर.टी 2005 (5) पेज 634 रज्य सरकर बनाम बहादरचन्द, आर.आर.टी 2006 (2) पेज 1138 निहालचन्द बनाम राजस्थान सरकार, आर.आर.टी 2006 (2) पेज 1161 राजस्थान सरकार बनाम ईमदादअली व अन्य, आर.आर.टी 2004 (1) पेज 80 जगदीश बनाम रज्य सरकार व अन्य, आर.बी.जे. 2002 पेज 148 सोहन कवर बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आर.आर.टी 2015 (2) पेज 1037, आर.आर.टी0 2005(1) पेज 27 नवल सिह बनाम रामसिंह आर. आर.टी 2006(2) पेज नम्बर 1123 भंवराराम व अन्य बनाम मांगीलाल वगैरह, आर.बी. जे. 2018 पेज नम्बर 665, सी.जे.(सिविल)(राज0) 2018(1) पेज 678 की नजीरे प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर पूर्व 223/1 रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा व वर्तमान खसरा नम्बर 223 रकबा 2.4917 हैक्टर बाबत आवंटन/नियमन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत दादिया व आम जनता द्वारा पेश किया गया है जो हितबद्ध पक्षकार है चूंकि विवादित आराजियात गांव के मवेशियों के चराई में काम आती है एवं चारागाह भूमि दर्ज है जिसमें गांव के सभी व्यक्तियों के हित निहित है। विवादित आराजियात चारागाह भूमि है जो वर्तमान में ग्राम हरपुरा के नामान्तरकरण संख्या 513 दिनांक 4–3–2022 के द्वारा खसरा नम्बर 223 रकबा 2.4917 हैक्टर भूमि चारागाह अंकित है मौके पर पूर्व से ही पशु चराई के काम में आती है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–02–2022 यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं अपील मीमों में उल्लेखित नजीरों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति राजस्व कैम्प दादिया, जरिय प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के द्वारा पारित आवंटन/नियमन आदेश क्रमांक 92 दिनांक 21–6–1984 ग्राम दादिया हाल हरपुर के पूर्व खसरा नम्बर 223/1 हाल खसरा नम्बर 223 रकबा 2.4917 अर्थात 15 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल का

नियमन अपीलार्थीगण रामधन, श्रवण पुत्र भोलू के पक्ष में दिनांक 21–6–84 को किया गया था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जमाबंदी सम्वत 2041 में सिवायचक खाते व चारागाह के खाते दोनों में अलग–अलग नोट लगा हुआ है । उक्त जमाबंदी के सिवायचक खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल पर गोला कर ''चारागाह में गया'' लिखा हुआ है तथा उक्त जमाबंदी के चारागाह खाता संख्या 710 में खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा किस्म चारागाह तथा खसरा नम्बर 223/2 रकबा 02 बिस्वा किस्म चारागाह को मार्क कर टिप्पणियों के कॉलम में चौसाला जमाबंदी के अनुसार सिवायचक खाते में पकड़ा गया लिखा हुआ है उक्त टिप्पणी किसके द्वारा लिखी गई है, के हस्ताक्षर एवं पदनाम का उल्लेख नहीं है। प्रार्थी के अनुसार उक्त व्यक्तियों को नियमन की गई भूमि के स्थान पर वर्तमान खसरा नम्बर 274/220, 276/220, 277/220, 275/220, 282/220, 283/220, 284/220 भूमि आवंटित कर दी गई थी जिसके पुराने खसर नम्बर 220/2756 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा है जो वर्किंग जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर 223/1 के नियमन करने से पूर्व की खातदारी में दर्ज थी। ग्राम दादिया की वर्किंग जमाबंदी के सिवायचक खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल पर गोला कर चारागाह में गया का अंकन किया गया है। सम्वत 2024–2027 की गिरदावरियों में एवं तहसीलदार की रिपोर्ट सम्वत 2076 तक अपीलार्थीगण का कोई कब्जा काश्त होना अंकित नहीं है तथा उक्त गिरदावरियों में भूमि की किस्म चारागाह अंकित है। इस प्रकार उक्त आवंटन आराजी संख्या 223/1 की किस्म चारागाह होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

रामधन, श्रवण पुत्र भोलू जाति जाट सा0 देह के नाम नियमन की गई भूमि के स्थान पर वर्तमान खसरा नम्बर 274/220, 276/220, 277/220, 275/220, 282/220, 283/220, 284/220 भूमि आवंटित कर दी गई जिसके पुराने खसरा नम्बर 220/2756 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा है जो वर्किंग जामबंदी में उक्त खसरा नम्बर 223/1 के नियमन होने से पूर्व ही खातेदारी में दर्ज थी। राजस्व रेकार्ड के अनुसार नियमन सम्वत 2076 तक उक्त खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15. 08 बीघा पर कोई फसल काश्त नहीं की गई थी।

चूंकि विवादित आराजियात सम्वत 2041 में चारागाह में अंकित है जो चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने से आवंटन/नियमन योग्य नहीं है फिर भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित अधिनियमो व प्रावधानों के विपरीत जाकर नियमन किया गया है जिसमें अपीलार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2004 में गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान राज्य में निर्णित किया गया है कि प्रतिबंधित भूमियों में किसी प्रकार का कोई आवंटन/नियमन अथवा खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त कर दिया

गया हो तो पुनः उसी अवस्था में करने के लिए निर्णित किया जा चुका है जबकि उक्त भूमि की किस्म चारागाह होने से सम्वत 2041 की बन्दोबस्त खतौनी जमाबंदी में खसरा नम्बर 123/1 रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा अंकित किया गया है कि उक्त भूमि ''चरागाह मे गया'' का अंकन किया हुआ है, उक्त भूमि का आवंटन/नियमन विधिविरूद्ध व नियमों के विपरीत जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21–6–1984 को नियमन किया गया जो विधिविरूद्ध था।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि आवंटन/नियमन की धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में जो चारागाह भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा डी.बी. जनहित याचिका संख्या 1536/2003 बउनवान अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 2–8–2004 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उक्त आवंटन/नियमन/अंकन निरस्त योग्य है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में आने के कारण आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण के पक्ष में 15 बीघा 08 बिस्वा भूमि अर्थात 2.4917 हैक्टर किये गये आवंटन/नियमन को निरस्त कर ऐसी भूमियों को पुनः पूर्व अवस्था में किये जाने के आदेश पारित किये है जो उचित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2022 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2022 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02–01–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर